IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मराठी अभिलेखों में रामपुरा

बडगुजर योगिता हेमलाल
शोधार्थी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

सारांश – रामपुरा मध्यप्रदेश के तहसील मनासा जिला नीमच के अन्तर्गत स्थित है। होलकर राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर को जयपुर के महाराजा माधोसिंह द्वारा 1757 ई. में रामपुरा का परगना प्रदान किया गया था। 1757 से 1948 ई. तक रामपुरा पर होलकर शासकों का आधिपत्य रहा था। रामपुरा परगने पर होलकर सरकार का आधिपत्य होने से मराठी भाषा के प्रकाशित अभिलेखों में रामपुरा संबंधी राजकीय, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और लश्करी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संकेताक्षर – रामपुरा परगने के विभिन्न पहलु

राजकीय पहलु

सूबेदार मल्हारराव होलकर द्वारा रामपुरा का परगना जुलाई 13, 1761 ई. में प्राप्त कर अपना अधिकार स्थापित करने संबंधी स्पष्ट उल्लेख होलकर सरकार के हुजूर फड़नीसी सरकारी दफ्तर के इस समझौता पत्रक से प्राप्त होता है। सूबेदार मल्हारराव होलकर और लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत इन दोनों में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार रामपुरा परगने में कुल 519 गांवों की संख्या थी, जिसमें से मल्हारराव होलकर द्वारा लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत की तरफ 10 हजार राजस्व के 31 गांव और हुंडी या चेक की राशि रूपये 5 हजार कुल मिलाकर 15 हजार प्रदान करने संबंधी ठहराव किया गया था। रामपुरा परगने के शेष 488 गांव होलकर सरकार की तरफ रखे गये थे, जिसका राजस्व 3.50 साड़े तीन लाख रूपये था। इस सम्पूर्ण राजस्व का विभाजन ऐनमाल और सिवाय जमा के अन्तर्गत किया जाता था। इस समझौता पत्रक से ज्ञात होता है कि 1761 ई. के समय रामपुरा परगने का कुल राजस्व 3.60 तीन लाख साठ हजार रूपये था।[1]

सूबेदार मल्हारराव होलकर द्वारा लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत की तरफ रामपुरा परगने के 10 हजार राजस्व के गांव जागीर में प्रदान करने संबंधी रामपुरा परगने का कमाविसदार गोविंदराव बालाजी को सितम्बर 13, 1761 ई. में आदेश दिया गया था। मराठा काल में कमाविसदार परगने का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। इसलिए कमाविसदार के नाम यह आदेश मल्हारराव होलकर द्वारा दिया गया था। सरकारी आदेशानुसार कमाविसदार को कार्यवाही करना होती थी। कमाविसदार द्वारा होलकर सरकार को प्रत्येक वर्ष के अन्त में जमा–खर्च का हिसाब देना पड़ता था, जिसमें सरकारी आदेशानुसार भुगतान की

गई राशियों को घटा दिया जाता था, जिसे मुजरा कहते थे। होलकर सरकार के सरकारी आदेश का यह एक उत्तम नमूना है।[2]

मातोश्री अहिल्याबाई के कार्यकाल में सूबेदार तुकोजी होलकर कार्यरत था। मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रामपुरा के लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत और हाटेसिंह चन्द्रावत की तरफ सितम्बर 8, 1767 ई. में जागीर के गांव सौंपे गये थे, जिसका विवरण इस सूची में दर्शाया गया है। होलकर सरकार की राजधानी महेश्वर संबंधी उल्लेख भी इस सूची में प्राप्त होता है। प्रस्तुत सूची के पहले बिन्दु के अन्तर्गत रामपुरा परगने के कमाविसदार कृष्णराव गोविंद को आज्ञा दी गई थी कि लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत को परगना रामपुरा के गांव निश्चित कर दिये गये है। उसकी सूची संलग्न है। उसके अनुसार समझौता करके प्रदान करना। रामपुरा महाल या परगने में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने की शर्त पर कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा के राजाओं की जमानत लेकर लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत की तरफ गांव सौंपना। सरकार द्वारा जो गांव सौंपे जायेंगे उस गांवों में उसने गढ़ी का निर्माण नहीं करना है। इसके अनुसार समझौता करके गांव सौंपना। उक्त सूची के इस बिन्दु से ज्ञात होता है कि लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत को होलकर सरकार द्वारा जागीर में गांव सौंपने का मुख्य उददेश्य रामपुरा परगने में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करना था। दूसरे बिन्दु में गोविंद कृष्ण द्वारा आपकी व्यवस्था की जाने बाबत लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत को सूचित किया गया था। तीसरे बिन्दु के अन्तर्गत लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत को रामपुरा परगने के प्रदान किये जाने वाले गांवों के नामों की विवरणात्मक सूची दी गई है, जिसमें तालुका आमद के 7 गांव, तालुके दातोली के 9 गांव, तालुके गरोठ के 4 गांव, तालुके पठार के 10 गांव ऐसे कुल मिलाकर 30 गांव, जिसका राजस्व 50400 रूपये था वह लक्ष्मणसिंह चन्द्रावत को सौंपे गये थे। सिवाय हाटेसिंह चन्द्रावत की तरफ भाटखेड़ी की जागीर सौंपी गई थी। इस तरह कुल मिलाकर चन्द्रावतों की तरफ 31 गांव जागीर में प्रदान किये गये थे।[3]

मातोश्री अहिल्याबाई के नाम खंडो रामाजी द्वारा मुकाम रामपुरा से मार्च 29, 1795 ई. में एक पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार सूबेदार तुकोजी होलकर द्वारा खंडो रामाजी को आज्ञा दी गई थी कि भवानीसिंह चन्द्रावत की ओर से पांच बिन्दुओं का जवाब लेकर उसे अपने गांव में लाकर बैठाना। इसके अनुसार भवानीसिंह चन्द्रावत के कारकून से बातचीत करके बिन्दु के अनुसार जवाब प्राप्त कर लिया गया था। पहले बिन्दु के अनुसार भवानीसिंह चन्द्रावत के संबंध में सलूंबर के रावत भीमसिंह चन्द्रावत की जमानत प्राप्त की गई थी और सरकार की आज्ञा के अनुसार कमाविसदार के कारकून सलूंबर जाकर रावतजी का पत्र ऐसे दो पत्र सरकार के नाम प्राप्त कर लिये गये थे। दूसरे बिन्दु के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए कार्य संबंधी आदेश होने पर मामलेदार के साथ सामील होकर सेवा कार्य करने हेतु ध्यान देना। इसके लिए उनसे बात करके सरकारी पत्र का जवाब लिया गया था। तीसरे बिन्दु के अनुसार सरकारी सेवा एकनिष्ठा से की जावेगी अन्यथा गांव जब्त किया जाने बाबत सरकार के नाम पत्र लिख लिया गया था। चौथे बिन्दु के अनुसार आमद और आमद गांव दोनों सरकार में जब्त कर लिये गये थे। इन दोनों गांवों को किसी भी तरह का उपसर्ग नहीं करने बाबत भवानीसिंह चन्द्रावत का जवाब लिया गया था। अन्तिम और पांचवें बिन्दु के अनुसार भवानीसिंह चन्द्रावत से 25 हजार रूपये नजराना के रूप में प्रदान करने बाबत लिखतंग लिया जावें। इसके बाद पूरक पत्र द्वारा खंडो रामाजी को आज्ञा दी गई थी कि वर्ष के अन्त में नजराने की राशि प्रदान की जावें अन्यथा ब्याज भी देने बाबत लिखित में जवाब प्राप्त करना। भवानीसिंह चन्द्रावत द्वारा वर्ष के अन्त में नजराने की राशि प्रदान करना संभव नहीं होगी। इसलिए खंडो रामाजी द्वारा नजराने की राशि रूपये 30 हजार समझौते के माध्यम से निश्चित की गई थी, जिसका लिखतंग भवानीसिंह चन्द्रावत से प्राप्त किया गया था।

प्रस्तुत पांच बिन्दुओं का जवाब भवानीसिंह चन्द्रावत से प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद होलकर सरकार द्वारा शरीफभाई की ओर से नारो आबाजी, राघोपंत भाऊ की ओर से नरहर बापूजी, कमाविसदार की ओर से कृष्णाजी महादेव ऐसे तीन कारकूनों को भेजकर भवानीसिंह चन्द्रावत को मौजा डोयली तालुके पठार में लाकर चन्द्रावत का मुकाम किया गया था। तालुके पिंपल्या के नजदीक नारायणगढ़ में भेंट होकर दोनों पक्षों में यह समझौता हुआ था। परस्पर वस्त्रें देकर सम्मान किया गया था। भवानीसिंह चन्द्रावत द्वारा होलकर सरकार को अपना सारंगा नामक घोडा नजर में प्रदान किया गया था। भवानीसिंह चन्द्रावत को अपने जागीरी का गांव मौजा पगारा में लाकर बैठाया था, जिनके साथ नारो आबाजी और मामलेदार की ओर से कृष्णाजी महादेव को ठहराया था। भवानीसिंह चन्द्रावत और होलकर सरकार के बीच यह समझौता हुआ था। भवानीसिंह चन्द्रावत द्वारा सरकारी सेवा कार्य करने पर ध्यान दिये जाने बाबत खंडो रामाजी ने आशा व्यक्त करते हुए मातोश्री अहिल्याबाई को सूचित किया गया था।[4]

रामपुरा से बालाजी रावजी ने महाराज काशीराव होलकर के नाम फरवरी 16, 1796 ई. में एक पत्र भेजा था। इस पत्र में बालाजी रावजी ने लिखा है कि भवानीसिंह चन्द्रावत को कैलासवासी मातोश्री बाईसाहेब ने समझाईश करके रामपुरा परगने में लाकर पठार पर स्थित मौजा पगारा में निवास करने हेतु जगह दी थी। भवानीसिंह चन्द्रावत के जागीरी के पांच गांव दुर्जनसिंह चन्द्रावत की तरफ थे। वह गांव मुझे प्रदान करने संबंधी भवानीसिंह चन्द्रावत द्वारा मांग की थी। इस पत्र से ज्ञात होता है कि भवानीसिंह चन्द्रावत को होलकर सरकार द्वारा जागीर प्रदान की गई थी तथा 1796 ई. के समय भवानीसिंह चन्द्रावत का निवासस्थान मौजा पगारा में था।[5]

महाराज तुकोजीराव होलकर का अधिकार समारोह संपन्न हुआ था, जिसके रोजनामचा में इस दिन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस रोजनामचा के अनुसार महाराज तुकोजीराव होलकर के गादी के पश्चिम की तरफ बायीं ओर रामपुरा के दीवान नाहरसिंह चन्द्रावत को बन्नातगाशा पर बैठने का स्थान दिया गया था। इनके नजदीक शिवचन्द कोठारी, रतनचन्द और खेमचन्द बैठे थे। इस अवसर पर रामपुरा के दीवान नाहरसिंह चन्द्रावत को सरकार द्वारा बक्षीस दिया गया था। दीवान नाहरसिंह चन्द्रावत के चिरंजीव के नाम परगना आंतरी का मौजा अम्बाखेड़ी गांव इनाम दिया गया था और रामपुरा में बाग लगाने हेतु सनद प्रदान की गई थी। इसके अलावा जवाहिरात मोतियों की कंठी और सिरपेंच, सिरोपांव की वस्त्रें पार के 9 शालजोड़ी, मन्दिल, पगड़ी दुपटट्ा, किमखाप महमुद्या दो, रूमाल शाल जामा का, कांचा प्रदान किये गये। इस तरह नाहरसिंह को वस्त्रें, पोशाक और रूपये दिये गये थे। नाहरसिंह चन्द्रावत द्वारा भी महाराज तुकोजीराव होलकर को नजर भेंट दी गई थी। इसके अलावा भवानीसिंह चन्द्रावत द्वारा भी महाराज तुकोजीराव होलकर को नजर दिये जाने संबंधी उल्लेख मार्च 8, 1852 ई. के इस रोजनामचा में मिलता है।[6]

मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रामपुरा परगने का कमाविसदार मिर्जा आदिल बेग के नाम जुलाई 13, 1766 ई. में ताकीद पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार सूबेदार मल्हारराव होलकर द्वारा रामपुरा परगने का मौजा अल्हेड़ गांव मोहनसिंह की तरफ जागीर में प्रदान किया था। कमाविसदार मिर्जा आदिल बेग द्वारा इस गांव के संबंध में आपत्ति ली जाने पर मातोश्री अहिल्याबाई ने कमाविसदार को लिखा था कि मौजा अल्हेड़ गांव मोहनसिंह की तरफ जागीर में प्रदान किया गया है। इसलिए इसे कोई भी दिक्कत नहीं करने बाबत आज्ञा दी गई थी।[7] मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रामपुरा परगने का कमाविसदार आबाजी विष्णू के नाम जुलाई 8, 1781 ई. में ताकीद पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार मौजा खजुरी परगना रामपुरा का यह गांव पूर्वापार से कैलासवासी आप्पाजी राम की तरफ जागीर था। मौजा खजुरी गांव की जब्ती सरकार द्वारा की गई थी, परन्तु कैलासवासी आप्पाजी राम सरकार के पुरातन सेवक होने के कारण उनकी ओर का गांव उनके पुत्र रामराव आप्पाजी की तरफ कायम बरकरार रखने संबंधी निश्चित

किया गया था। इस गांव में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करते हुए चालू वर्ष से रामराव आप्पाजी के कारकून आने पर गांव उनके स्वाधीन करने बाबत आज्ञा दी गई थी।[8]

प्रशासनिक पहलु

महेश्वर से हरी बल्लाल द्वारा मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के नाम अगस्त 28, 1790 ई. में पत्र लिखा गया था, जिससे ज्ञात होता है कि मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रामपुरा परगने की मामलत गणपतराव आबा गद्रे की तरफ 1790 ई. में सौंपी गई थी। मामलत के नियुक्ति के पूर्व मामलतदार से चाही गई रसद की राशि भी प्रदान की गई थी। मामलतदार को नियुक्त कर रामपुरा परगने में भेजा गया था। परगने को महाल भी कहते थे। रामपुरा परगने का मख्ता निश्चित होने पर कृष्णाजी सदाशिव चांदोरकर द्वारा 25 हजार रूपये ज्यादा प्रदान करने संबंधी कबूल किया गया था। इसके अलावा गणपतराव आबा के कार्य संबंधी कुछ नाराजगी के कारण मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा गणपतराव आबा की तरफ से मामलत हटाकर कृष्णाजी चांदोरकर को सौंपी गई थी। इसलिए हरी बल्लाल द्वारा मातोश्री अहिल्याबाई की समझाईश कर गणपतराव आबा की तरफ मामलत चलाने संबंधी या रसद में प्राप्त की गई राशि वापस लौटाने बाबत इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था।[9]

इसी के संबंध में दूसरा एक पत्र यशवंतराव गंगाधर द्वारा महेश्वर से मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के नाम लिखा गया था, जिससे ज्ञात होता है कि रामपुरा परगने की मामलत गणपतराव आबा गद्रे की तरफ 1790 ई. में मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सौंपी गई थी। इसके लिए नियुक्ति के पूर्व मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रसद में चाही गई राशि भी प्रदान की गई थी। मातोश्री अहिल्याबाई के मर्जी के अनुसार ही मख्ता निश्चित किया गया था। इसके उपरान्त भी गणपतराव आबा से मामलत हटा दी गई थी। इसके संबंध में मातोश्री अहिल्याबाई की समझाईश करने संबंधी नाना फड़नीस और हरीपंत तात्या द्वारा यशवंतराव गंगाधर को सूचित किया जाने पर इनके द्वारा यह निवेदन पत्र मातोश्री अहिल्याबाई के नाम लिखा गया था। गणपतराव आबा और उनके पिताश्री कैलासवासी विष्णुपंत बाबा ने सरकार में सेवायें दी थी। गणपतराव आबा को रूपयों की बहुत आवश्यकता होने के कारण गणपतराव से रसद में प्राप्त की गई राशि वापस प्रदान करने बाबत इस पत्र के माध्यम से मातोश्री अहिल्याबाई से निवेदन किया गया था।[10]

उक्त इन दोनों पत्रों से ज्ञात होता है कि होलकर सरकार द्वारा परगने को मख्ते या इजारे पर देकर राजस्व की वसूली की जाती थी। परगने का मख्ता या इजारा लेने वाले को मामलतदार या कमाविसदार कहते थे। मामलतदार से नियुक्ति के पूर्व नकद स्वरूप अग्रिम राशि होलकर सरकार द्वारा ली जाती थी, जिसे रसद कहते थे। जो व्यक्ति ज्यादा राशि प्रदान करने संबंधी कबूल करता था, उसकी तरफ मामलत सौंपी जाती थी। कमाविसदार या मामलतदार की नियुक्ति और पद से हटाने का सम्पूर्ण अधिकार होलकर शासकों को था।

महाराज हरिराव होलकर द्वारा रामपुरा परगने के वर्तमान और भावी कमाविसदार के नाम अक्टूबर 21, 1834 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार परशराम पिता हरनाथ ब्राह्मण गौंड़ निवासी कसबा रामपुरा ने हुजूर इन्दौर मुकामी आकर निवेदन किया था कि रामपुरा परगने पर जब जयपुर के राजाओं का आधिपत्य था तब मेरे पिताश्री को कसबा रामपुरा के कोतवाली के कार्य पर नियुक्त कर सनद पत्र प्रदान किया गया था। इसके अनुसार परम्परा चली आयी। परिवार के भरणपोषण हेतु कोतवाली के कार्य सौंपने संबंधी निवेदन किया गया था। इस पर होलकर सरकार द्वारा विचार कर परशराम ब्राह्मण को कोतवाली चौत्रा की ओर जमादारी के कार्य पर प्रतिमाह 13 रूपये के अनुसार नियुक्ति प्रदान कर सनद दी गई थी। इनके द्वारा कोतवाली सिबंदी जमादारी का कार्य लेकर उपरोक्त वेतन प्रदान कर परगने के

खर्च में लिखना। प्रतिवर्ष नवीन पत्र की मांग नहीं करते हुए इसकी एक प्रत लेकर अस्सल प्रत भोगवटा हेतु वापस करने बाबत महाराज हरिराव होलकर द्वारा रामपुरा परगने के कमाविसदार को आज्ञा दी गई थी।[11]

आर्थिक पहलु

परगना रामपुरा से होलकर सरकार को 3 लाख रूपये राजस्व के अन्तर्गत प्राप्त होते थे, जिसका उल्लेख 1776–77 ई. की इस सूची से प्राप्त होता है।[12] मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा तुकोजी होलकर के नाम जून 26, 1778 ई. में यह पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार रामपुरा परगने की मामलत जून 26, 1778 ई. में मल्हार गोविन्द की तरफ से 4.50 चार लाख पचास हजार रूपये प्रदान करने की शर्थ पर सौंपी गई थी।[13] परगना रामपुरा प्रांत मालवा से होलकर सरकार को शेरी नजराना के अन्तर्गत 7500 रूपये खालसा की ओर प्राप्त हुए थे, जिसका उल्लेख 1799 ई. की इस सूची में प्राप्त होता है।[14] भिमाबाई बुले द्वारा जोधपुर के नजदीक चेनपुरा गांव से अपने पिताश्री महाराज यशवंतराव होलकर के नाम जून 8, 1805 ई. में यह पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार अगले वर्ष की हुंडी 3 लाख रूपयों की रामपुरा के कोठारी के नाम करके भेजी गई थी वह प्राप्त हुई थी। गिरमा के माध्यम से रामपुरा परगने से रूपयों की वसूली की जा रही है। रूपयों की प्राप्ति होने पर पत्र द्वारा आपको सूचित किये जाने बाबत विवरण मिलता है।[15] रामपुरा का परगना खालसा अमल के अन्तर्गत आता था। 1818 ई. में रामपुरा परगने से होलकर सरकार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपयों का राजस्व प्राप्त होता था, जिसका उल्लेख जनवरी 30, 1818 ई. की होलकर सरकार मुलूक की जमाबंदी सूची में मिलता है।[16]

1853–54 ई. में रामपुरा परगने के इस्तमुरारदारों से टांके की राशि 6766 रूपये प्राप्त हुई थी, जिसका विवरण इस सूची में मिलता है। इस्तमुरारदार का नाम, इस्तमुरार गांव और टांके की राशि को निम्नांकित तालिका द्वारा दर्शाया गया है।[17]

तालिका क्रमांक 1

क्र	इस्तमुरारदार का नाम	इस्तमुरार गांव	टांके की राशि
1	रतनचन्द कोठारी	मौजा जनोद, मौजा दूधलाई	902
2	गंगाधर शास्त्री	मौजा लसुरडया	401
3	ब्रिजलाल हरनाथ	मौजा जोडमी, मौजा गुणसर	252
4	ठा. जोरावरसिंह, भाटखेड़ी	मौजा भदाण्या, मौजा धामण्या	1252
5	ठा. भुदेलसिंह	मौजा कुन्हा	401
6	अनोप भारती	मौजा जलालपुरा	105
7	ठा. शेराजी	मौजा शेहटा	275
8	अंताजी पंत	मौजा बत्तीसा	501
9	सेख हाजम	मौजा कानपुरा, आंतरी का मौजा सोमखेड़ी	715
10	ठा. अमरसिंह	मौजा ढाबला खुर्द	61
11	ठा. जोरावरसिंह	मौजा खजुरी	1801
12	ब्राह्मण, जेतलीकर	मौजा जेतली	45
13	ठा. फतेसिंह	मौजा आरण्या	55
	कुल	**17**	**6766**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि इस्तमुरारदारों से होलकर सरकार को टांके की राशि प्राप्त होती थी। भाटखेड़ी के ठा. जोरावर सिंह की तरफ मौजा भदाण्या, मौजा धामण्या और मौजा खजुरी यह तीन इस्तमुरार गांव थे, जिसके टांके के रूप में उन्हें राशि रूपये 3053 सरकार जमा करनी पड़ती थी। रतनचन्द कोठारी की तरफ मौजा जनोद, मौजा दूधलाई यह दो इस्तमुरार गांव थे, जिसके टांके की राशि रूपये 902 थी। सेख हाजम की तरफ मौजा कानपुरा और आंतरी का मौजा सोमखेड़ी यह दो इस्तमुरार गांव थे, जिसके टांके की राशि रूपये 715 थी। अन्यों की जानकारी उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई है।

धार्मिक पहलु

विठठ्ल महादेव द्वारा रामपुरा के राव नाहरसिंह चन्द्रावत के नाम अगस्त 29 और अक्टूबर 15, 1824 ई. के अनुसार दो पत्र लिखे गये थे।[18] इन पत्रों से ज्ञात होता है कि रामपुरा में प्रचलित प्रथा के अनुसार दशहरा का त्यौहार मनाने की परम्परा थी। परगने का मुख्य राजस्व अधिकारी कमाविसदार द्वारा सीमोल्लंघन किया जाता था। मातोश्री अहिल्याबाई होलकर का देहान्त होने पर रामपुरा से विश्वंभरदास और कृपालसिंह द्वारा काशीराव होलकर के नाम सितम्बर 4, 1795 ई. में सांत्वन पत्र लिखे गये थे।[19] महाराज मल्हारराव होलकर द्वारा रामपुरा के कमाविसदार भवानीराम कोठारी के नाम दिसम्बर 30, 1830 ई. में पत्र लिखा गया था, जो हिन्दू और मुस्लिम सामंजस्य का एक अच्छा उदाहरण है। श्री मारूति के मन्दिर को कोट बनाना, शिवालय और मस्जिद का निर्माण कार्य करने बाबत महाराज मल्हारराव होलकर द्वारा कमाविसदार को आज्ञा दी गई थी। इसके लिए खर्च जुजरसी ने करना, ढ़ाई–तीन हजार रूपयों का खर्च का अंदाज व्यक्त करते हुए मुजरा दिया जावेगा।[20]

महाराज मल्हारराव होलकर द्वारा परगना रामपुरा के वर्तमान और भावी कमाविसदार के नाम फरवरी 22, 1832 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार कसबा रामपुरा के वेदमूर्ति राजश्री गोपालभट पिता पृथ्वीराजभट गोत्र भारद्वाज यजुर्वेदी ने सरकार में विदित किया था कि कसबा रामपुरा में स्थित श्री चौमुखेश्वर महादेव और श्री जगन्नाथ नारायणजी का मन्दिर है। इस मन्दिर में पूजा, नैवेद्य हेतु कैलासवासी मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा हमारे पिताश्री को बत्तीसड़ा तालुके हवेली में मालेटी भूमि 25 बीघा और मौजा सन्दलपुर तालुके भानपुरा में अड़ान 2 बीघा तथा मालेटी 25 बीघा कुल मिलाकर 52 बीघा भूमि संमत 1841 में सनद द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अनुसार भोगवटा चला आ रहा है, परन्तु संमत 1878 में आवली का वृक्ष मकान पर गिर जाने से घर उध्वस्त हो गया। इसलिए श्री के पूजा नैवेद्य हेतु कैलासवासी मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा प्रदान की गई भूमि के अनुसार सनद प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया था। इस पर होलकर सरकार द्वारा विचार कर वेदमूर्ति गोपालभट को श्री की पूजा नैवेद्य हेतु मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा प्रदान की गई भूमि के अनुसार ही वंशानुगत नवीन सनद प्रदान की गई थी और कमाविसदार को आज्ञा दी गई थी कि प्रस्तुत सनद पुत्रपौत्रादि वंशपरम्परा चलाकर नवीन पत्र की मांग न करते हुए असल सनद भोगवटा हेतु वेदमूर्ति गोपालभट को वापस करने बाबत सूचित किया गया था।[21]

होलकर सरकार द्वारा चिरंजीव खंडेराव होलकर को गोद लेकर पुत्रोत्सव संपन्न किया गया था। यह पुत्रोत्सव महालानिहाय संपन्न करने हेतु होलकर सरकार द्वारा राशि रूपये 1835 स्वीकृत किये गये थे। रामपुरा परगने में भी उत्सव मनाने हेतु मामलेदार को अनुमति प्रदान की गई थी। इसकी जानकारी जुलाई 3, 1841 ई. की इस सूची से प्राप्त होती है।[22] महाराज तुकोजीराव होलकर द्वारा रामपुरा के तपोनिधि शिवजीराम जती के नाम दिसम्बर 31, 1845 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार तपोनिधि शिवजीराम जती के शिष्य हुजूर इन्दौर मुकामी आकर उन्होंने निवेदन किया कि सरकार द्वारा मौजा पिंपल्याप्रताप तालुके गरोठ यह गांव चन्द्रावतों के समय से हमारी ओर जागीर है। इसके संबंध में सूबेदार मल्हारराव होलकर, सूबेदार तुकोजीराव होलकर और यशवंतराव होलकर द्वारा गांव चलाने बाबत

प्रदान की गई सनदापत्रें हमारे पास है। इसी के अनुसार गांव चला आ रहा है। इसके अनुसार आप द्वारा भी कृपा करके हमारे नाम सनद प्रदान करने संबंधी निवेदन किया गया था। इस पर विचार कर होलकर सरकार द्वारा निवेदन मान्य किया गया था। मौजा पिंपल्याप्रताप तालुके गरोठ के सरकारी अमल की वहिवाट करते हुए वंशपरम्परा चलाकर सरकार दौलती का अभिष्ट चिंतन करने बाबत आज्ञा दी गई थी।[23] होलकर सरकार के पूर्व मुगल बादशाह, पेशवा, सिन्धिया तथा रामपुरा के चन्द्रावतों के द्वारा जो धर्मादाय देवस्थान नियुक्ति की सनदें प्रदान की गई थी उन्हें होलकर सरकार द्वारा कायम रखा गया था। इसके संबंध में 1856 ई. में किये गये ठहराव में यह विवरण मिलता है।[24]

लश्करी पहलु

रामपुरा परगने के कमाविसदार आबाजी विष्णू द्वारा मातोश्री अहिल्याबाई के नाम सितम्बर 12, और सितम्बर 17, 1782 ई. के अनुसार दो पत्र लिखे गये थे, जिसके अनुसार कमाविसदार के कार्य–कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कमाविसदार द्वारा परगने में शान्ति और सुव्यवस्था रखना, परगने के गांवों में बुआई का बन्दोबस्त करना यह कार्य किये जाते थे। परगने में शान्ति और सुव्यवस्था रखने हेतु कमाविसदार के आधिपत्य में सिबंदी रहती थी। मौजा पड़द्या में लोहे की खान संबंधी उल्लेख भी सितम्बर 12, 1782 ई. के पत्र में प्राप्त होता है।[25]

तुकोजी होलकर द्वारा मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के नाम जुलाई 6, 1788 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार तोपखाने हेतु बैलों की मांग की गई थी। मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा रामपुरा से बैल आने पर प्रदान किये जाने संबंधी सूचित किया गया था। उक्त पत्र से ज्ञात होता है कि तोपखाने हेतु बैलों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए होलकर सरकार द्वारा रामपुरा से बैलों की खरीदी की जाती थी।[26] तुकोजी होलकर द्वारा चिरंजीव काशीराव होलकर के नाम जुलाई 21, 1791 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार तुकोजी होलकर द्वारा रामपुरा पर होलकर सरकार का अमल कायम किये जाने संबंधी समाचार लिखा गया था। लश्करी कार्य के प्रयोजन हेतु राशि प्रदान करने संबंधी मातोश्री अहिल्याबाई को सिफारिश करने बाबत तुकोजी होलकर द्वारा काशीराव होलकर के नाम यह पत्र लिखा गया था।[27] रामराव आपाजी द्वारा मातोश्री अहिल्याबाई के नाम जुलाई 16, 1792 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार रामराव आपाजी द्वारा रामपुरा का महाल खालसा में लिया गया था, जिसके लिए देवासा के नजदीक मुकाम करके यह कार्य संपन्न किये जाने संबंधी समाचार विदित किया गया है।[28] महाराज यशवंतराव होलकर द्वारा भारमल होलकर के नाम जनवरी 15, 1802 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार महाराज यशवंतराव होलकर और लखबादादा की भेंट रामपुरा के आसपास होने संबंधी विदित होता है।[29] महाराज मल्हारराव होलकर द्वारा भानपुरा के मौजा कोहला से आबाजी खंडेराव और रावजी गोविन्द के नाम दिसम्बर 21, 1811 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार महाराज मल्हारराव होलकर की खासा सवारी भानपुरा से रामपुरा आयी थी।[30]

महाराज मल्हारराव होलकर द्वारा फरवरी 12, 1832 ई. में रामपुरा परगने के कमाविसदार को ताकीद पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार परगने में शान्ति और सुव्यवस्था को बन्दोबस्त करने हेतु बापू कुंवर को सैन्य के साथ नियुक्ति कर होलकर सरकार द्वारा उसे रवाना किया गया था। कमाविसदार को ताकीद दी गई थी कि परगने में किसी भी तरह की अशान्ति होने पर उसकी सूचना शीघ्र कुंवर को दी जावें अन्यथा परगने में नुकसान होने पर कमाविसदार जिम्मेदार रहने संबंधी आज्ञा दी गई थी।[31] महाराज हरिराव होलकर द्वारा रामपुरा के कमाविसदार आबाजी बल्लाल के नाम सितम्बर 2, 1835 ई. में पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसार लश्करी गतिविधियों का समाचार विदित किया गया है। इसके अलावा बकाया की राशि की वसूली करने हेतु खुमानजी कुंवर को भेजे जाने संबंधी विवरण प्राप्त होता है।[32]

समारोप – उपरोक्त पहलुओं से ज्ञात होता है कि होलकर सरकार के अन्तर्गत रामपुरा परगने का समावेश होता था। रामपुरा परगने के इतिहास संबंधी मराठी भाषा के प्रकाशित अभिलेखों में रामपुरा संबंधी राजकीय, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और लश्करी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथसूची –

होइसा – वा. वा. ठाकुर (सम्पा.) होलकरशाहीच्या इतिहासाची साधने, भाग 1–2, होलकर गवर्नमेन्ट प्रेस, इन्दौर, 1944, 1945

1 होइसा, भाग 1, लेखांक 158, पृ. 98, मराठा काल में गांव को देह और हुंडी या चेक को वराता भी कहते थे। य. न. केलकर, ऐतिहासिक शब्दकोश, भाग 1, पृ. 665, वही, भाग 2, पृ. 1250
2 होइसा, भाग 1, लेखांक 162, पृ. 100, य. न. केलकर, ऐतिहासिक शब्दकोश, भाग 2, पृ. 1094
3 होइसा, भाग 1, लेखांक 12, पृ. 161–163
4 होइसा, भाग 1, लेखांक 419, पृ. 426–428
5 होइसा, भाग 1, लेखांक 434, पृ. 437
6 होइसा, भाग 2, लेखांक 314, पृ. 259–261
7 होइसा, भाग 1, लेखांक 2, पृ. 156–157
8 होइसा, भाग 1, लेखांक 127, पृ. 235
9 होइसा, भाग 1, लेखांक 292, पृ. 343
10 होइसा, भाग 1, लेखांक 296, पृ. 345
11 होइसा, भाग 2, लेखांक 238, पृ. 196–197
12 होइसा, भाग 1, लेखांक 90, पृ. 209
13 होइसा, भाग 1, लेखांक 102, पृ. 220
14 होइसा, भाग 2, लेखांक 15, पृ. 11–12
15 होइसा, भाग 2, लेखांक 70, पृ. 52
16 होइसा, भाग 2, लेखांक 150, पृ. 116
17 होइसा, भाग 2, लेखांक 317, पृ. 264
18 होइसा, भाग 2, लेखांक 183, पृ. 146–147, वही, भाग 2, लेखांक 184, पृ. 147
19 होइसा, भाग 1, लेखांक 426, पृ. 433
20 होइसा, भाग 2, लेखांक 193, पृ. 157–158
21 होइसा, भाग 2, लेखांक 211, पृ. 173–174
22 होइसा, भाग 2, लेखांक 278, पृ. 225
23 होइसा, भाग 2, लेखांक 301, पृ. 246
24 होइसा, भाग 2, लेखांक 324, पृ. 279–281
25 होइसा, भाग 1, लेखांक 139, पृ. 243, वही, लेखांक 141, पृ. 244
26 होइसा, भाग 1, लेखांक 200, पृ. 281
27 होइसा, भाग 1, लेखांक 345, पृ. 374–375
28 होइसा, भाग 1, लेखांक 379, पृ. 396–397
29 होइसा, भाग 2, लेखांक 49, पृ. 37
30 होइसा, भाग 2, लेखांक 119, पृ. 89
31 होइसा, भाग 2, लेखांक 210, पृ. 173
32 होइसा, भाग 1, लेखांक 254, पृ. 211